न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./4592/2006/जैसलमेर

1– गिरधारी राम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी जावंधनई तहसील व जिला जैसलमेर।

..... अपीलांट

बनाम

1– देउराम पुत्र कल्लाराम जाति मेघवाल निवासी जावंधनई तहसील व जिला जैसलमेर।
2– राजस्थान सरकार।

..... रैस्पोडेंट

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री वीरेन्द्रसिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री योगेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं. 1

निर्णय **दिनांक :– 14.11.2019**

यह अपील धारा 76 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर के निर्णय दिनांक 24–5–2006 अपील सं0 07/2005 बउनवानी देउराम बनाम गिरधारीराम के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन), नियम 1970 के तहत अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा ग्राम जावंधनई तहसील जैसलमेर के खसरा नं0 31 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 20–7–1992 को उपखण्ड अधिकारी जैसलमसेर से तथ्यों को छिपाकर, नियम विरूद्ध, धोखा व कमट से एवं वक्त आवंटन नाबालिग होने के उपरान्त करवाया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त किया जावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करते हुए दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 6–8–2005 को आवंटन आदेश

दिनांक 20–7–1972 को निरस्त कर दिया जिस निर्णय के विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–5–2006 से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 6–8–2005 को निरस्त कर आवंटन को यथावत् रखा गया जिस निर्णय दिनांक 24–5–2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि रेस्पो0 देउराम को दिनांक 20–7–1972 को आवंटन हुआ है और विद्यालय के रेकार्ड के अनुसार देउराम की जन्म तारीख 01–10–1962 बतायी गयी है। आवंटन के समय आवंटी की आयु मात्र 10 वर्ष होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तथ्यों को छिपाकर किया गया आवंटन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–5–2006 को अपास्त किया जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत एवं कानूनी है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– विद्वान जिला कलक्टर, जैसलमेर ने अपने निर्णय दिनांक 6–8–2005 में माना कि अप्रार्थी सं0 1 वक्त प्रश्नगत भूमि आवंटन के नाबालिग था एवं उसके द्वारा भूमि का आवंटन निमयों के विपरीत एवं तथ्यों को छिपाकर, कपट एवं धोखाधड़ी से करवाया गया है जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं होने से आवंटन आदेश दिनांक 20–7–1972 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में राजकीय दर्ज की जाकर भूमि का कब्जा राज्य पक्ष में लिया जावें। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–5–2006 में अंकित किया है कि अपीलार्थी को सन् 2003 में रेस्पो0 सं0 1 की शिकायत के आधार पर स्कूल के इस संदेहास्पद अभिलेख को मानकर आवंटन खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि के बाद आवंटन खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण एवं परिस्थितियों का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जबकि वर्तमान में अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और खातेदारी अधिकार भी

प्राप्त हुए लगभग 10 वर्ष होकर रेकार्ड में दर्ज है। ऐसी अवस्था में एक ही दस्तावेज प्रवेश प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से सही मानकर जो कि संदेहजनक है, के आधार पर आवंटन खारिज करना न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश खारिज योग्य होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आवंटन यथावत रखा जाता है।

9– श्री गिरधारीराम पुत्र शेराराम के द्वारा जिला कलक्टर, जैसलमेर के यहां दिनांक 19–12–2003 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसका मुख्य आधार यह था कि वक्त आवंटन अप्रार्थी सं0 1 बालिग नहीं था।

10– प्रार्थी देउराम ने दिनांक 2–7–2005 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील प्रथम दृष्ट्या मियाद बाहर होने से व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज किया जावें।

11– जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 6–8–2005 द्वारा निर्णय किया कि अप्रार्थी सं0 1 वक्त प्रश्नगत भूमि आवंटन के समय नाबालिग था एवं उसके द्वारा भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत एवं तथ्यों को छिपाकर एवं धोखाधड़ी से करवाया गया है जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं होने से आवंटन आदेश दिनांक 20–7–1972 को निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजकीय दर्ज की जाकर भूमि का कब्जा राज्यपक्ष में लिया जावें।

12– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी सं0 1 देउराम द्वारा दिनांक 10–8–1971 को उपजिलाधीश, जैसलमेर के समक्ष भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर देउराम की अंगूठा निशानी है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई कि प्रार्थी की आयु 18 वर्ष है। प्रार्थी व उसके परिवार के नाम से उस पटवार क्षेत्र में भूमि 57 बीघा 10 बिस्वा है। इस पर दिनांक 3–6–1972 को आवंटन कमेटी से खसरा नं0 31 ग्राम नई जावंधनई में 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई जिसका उपजिलाधीश द्वारा दिनांक 30–6–1972 को आदेश जारी किये गये। नकल जमाबन्दी ग्राम जावंधनई तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर सम्वत् 2058–61 में खसरा नं0 28/266 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा देउराम पुत्र कल्लाराम कौम मेघवाल के नाम दर्ज है।

13– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यालय प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जावंधनई पंचायत समिति जैसलमेर द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र में देवाराम पुत्र श्री कल्लाराम ग्राम जावंधनई जिला जैसलमेर की जन्मतिथि

01–10–1962 अंकित है जिससे दिनांक 30–6–1972 को आवंटन आदेश के वक्त श्री देउराम पुत्र कल्लाराम की आयु लगभग 10 वर्ष सिद्ध होती है। अर्थात वक्त आवंटन अप्रार्थी सं0 1 देउराम नाबालिग था। राजकीय सिवायचक भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 11 (1) के तहत केवल भूमिहीन व्यक्ति को किया जाने का प्रावधान है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में भूमिहीन व्यक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है – **भूमिहीन व्यक्ति से कृषक वृत्ति का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो वैयक्तिक रूप से भूमि को जोतता है या जिससे वैयक्तिक रूप से भूमि को जोतने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, किन्तु जो चाहे उसके स्वयं के नाम से या उसके अविभक्त कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के नाम कोई भूमि धारण नहीं करता हो या कोई खण्ड धारण करता हो। इस प्रकार उक्त परिभाषा के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति से उसके स्वयं के द्वारा काश्त करने की प्रत्याशा की गयी है एवं काश्त करने की प्रत्याशा केवल बालिग व्यक्ति से ही की जा सकती है।** आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में आवंटन निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–5–2006 में अंकित किया गया है कि अपील मीमों के साथ प्रस्तुत वोटरलिस्ट सन् 1975 व 1980 में अपीलार्थी देउराम की उम्र क्रमशः 24 व 29 वर्ष दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17–8–2006 के मेडिकल रिपोर्ट में अपीलार्थी की उम्र 53 वर्ष दर्शायी गयी है। परिवार राशनकार्ड अनुसार देउराम वर्ष 1976 में 23 वर्ष का था। वोटरलिस्ट, मेडिकल रिपोर्ट तथा राशनकार्ड में अंकित उम्र के मुताबिले स्कूल द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र की वैद्यानिकता मान्य है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी को वक्त आवंटन गलत रूप से बालिग माना गया है।

14– नियम 14 (4) में आवंटन निरस्त करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होने से लम्बी अवधि के बाद भी आवंटन खारिज किया जा सकता है। प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण में आवंटन का मूल आधार ही गलत है। अतः विद्वान जिला कलक्टर द्वारा आवंटन विधिसम्मत खारिज किया गया है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है।

15– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाडमेर–जैसलसमेर) मु0 जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–5–2006

खारिज किया जाता है एवं विद्वान जिला कलक्टर जैसलमेर के निर्णय दिनांक 6–8–2005 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य